रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED NO. D(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 1979/आषाढ़ 16, 1901
No. 277] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1979/ASADHA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1979

का. आ. 389(अ).—मिजो नेशनल फ्रन्ट (जिसे इसमें आगे फ्रन्ट कहा गया है),—

(1) जिसका स्पष्टतः घोषित उद्देश्य स्वतन्त्र मिजोरम बनाना है जिसमें मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र और मणिपुर तथा त्रिपुरा के मिजो और कूकी आबादी वाले पड़ोसी क्षेत्र हैं, उक्त उद्देश्य की प्राप्ति और भारत संघ से उक्त क्षेत्रों को विलग कराने के लिए अपने क्रियाकल्लापों में तेजी ला रहा है ;

(2) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्थापित एक सशस्त्र बल, जिसका तथाकथित नाम मिजो नेशनल आर्मी है, और अन्य निकाय नियोजित कर रहा है ,

(3) अपने उक्त उद्देश्य को अवसर करने के लिए मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र, असम के कछार जिले और मणिपुर में सुरक्षा बलों और सिविल सरकार तथा नागरिकों पर हमला करने के लिए उक्त सशस्त्र बल को नियोजित कर रहा है तथा सिविल आबादी के विरुद्ध आगजनी, लूट और अभित्रास-कार्य कर रहा है तथा अपने संगठन के लिए व्यक्तियों की भर्ती तथा धन का संग्रहण कर रहा है ,

(4) अपने उक्त उद्देश्य के अनुसरण में सभी गैर-मिजो व्यक्तियों को यह सूचना दी है कि वे 1 जुलाई, 1979 तक मिजोरम छोड़ कर चले जाएं । उक्त सूचना को प्रवृत्त कराने के लिए उसके सदस्यों ने हिंसा और हत्याएं की हैं ,

(5) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने संगठन और सशस्त्र बल के माध्यम से विदेशों से संपर्क बनाए हुए हैं जिससे कि तथाकथित मिजो नेशनल आर्मी को वित्तीय सहायता तथा आयुधों, उपस्कर और प्रशिक्षण के रूप में, अन्य सहायता मिले सके और उसे ऐसी सहायता मिली भी है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उपरोक्त करणों से, फ्रंट और उसके द्वारा बनाए गए अन्य निकाय, जिनके अन्तर्गत इसका सशस्त्र

बल, अर्थात्, तथाकथित मिजो नेशनल आर्मी भी है, विधिविरुद्ध संगम है",

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस तथाकथित मिजो नेशनल आर्मी के सशस्त्र ग्रुपों द्वारा सुरक्षा बलों और सिविल आबादी पर बार-बार हिंसात्मक कार्यों और हमलों के कारण फ्रन्ट और उसके अन्य निकायों को, जिनके अन्तर्गत तथाकथित मिजो नेशनल आर्मी भी है, तुरन्त विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मिजो नेशनल फ्रन्ट और उसके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को, जिनके अन्तर्गत तथाकथित मिजो नेशनल आर्मी भी है", विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है, और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 3-14014/12/79-एन. ई 1]

के. बैनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1979

S.O. 389(E).—Whereas the Mizo National Front (hereinafter referred to as the Front)—

(i) which had openly declared as its objective the formation of an independent Mizoram comprising of the Union territory of Mizoram and the adjacent Mizo and Kuki inhabited areas of Manipur and Tripura has intensified its activities to achieve the said objective and bring about secession of the said areas from the Union of India ;

(ii) has been employing an armed force, namely, the so-called Mizo National Army, and the other bodies, set up by it, to achieve its aforesaid objective ;

(iii) has, in furtherance of its aforesaid objective, been employing the said armed force in attacking the Security Forces and the Civil Government and the citizens in the Union territory of Mizoram, Cachar District of Assam and Manipur and idulging in acts of arson, looting and intimidation against the civilian population and in recruitment of persons and collection of funds for its organisation ;

(iv) has, in pursuance of its aforesaid objective issued notices to all non-Mizos to quit Mizoram by 1st July, 1979 and in a bid to enforce the said notice, the members of the Front have taken recourse to violence and murder ;

(v) has, to achieve its aforesaid objective maintained contacts with foreign countries through its organisation and armed force with a view to securing financial assistance and assistance by way of arms, equipment and training for the so-called Mizo National Army and has secured such assistance ;

And whereas the Central Government is of opinion that for the reasons aforesaid, the Front and other bodies set up by it, including its armed force, namely, the so called Mizo National Army, are unlawful associations ;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the repeated acts of violence and attacks by armed groups of the so-called Mizo National Army on the Secuity Forces and on the civilian population, it is necessary to declare the Front and its other bodies, including the so-called Mizo National Army, to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subseciton (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the "Mizo National Front and the other bodies set up by it, including the so-called Mizo National Army" to be unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazete.

[F. No. III-14014/12/79-NE. I]

K. BANARJI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979